न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–राजकेष मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:– 201/2021

प्रार्थीगण:–

1 किशनाराम पुत्र श्री हुक्माराम
2 केसू पत्नि सोनाराम
3 इराराम पुत्र श्री हुकमाराम फौत जिनके कायम मुकाम
3–1 गोरखराम पुत्र श्री इराराम
3–2 बगतुदेवी पत्नि श्री इराराम
4 चूनाराम पुत्र श्री सोनाराम
5 टीकुराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. मूलाराम पुत्र श्री कानाराम
2. बिंजाराम पुत्र श्री कानाराम
3. उमेदाराम पुत्र श्री चेनाराम
4. खींयाराम पुत्र नारायणराम

जति जाट निवासी गगाडी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से–अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी।
अप्रार्थी सख्या 1 से 4 एकपक्षीय
अप्रार्थी सख्या 5 की ओर से –सरकारी पैरोकार।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—..................

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:– प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 439 रकबा 00.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 02.5657 हैक्टेयर मौजा ग्राम गगाडी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के दक्षिण तरफ पुराने कणा माठ है। जिसके अंदर प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि की पेमाईश करवा कर चिन्हित स्थान पर पत्थर गढी करवाना चाहते है। जिसके लिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की दिनांक 7.6.2022 को श्रीमान तहसीलदार तिंवरी से भूमि की पेमाइश करवाने का आदेश प्राप्त कर हल्का पटवारी से भूमि की दिनांक 23.6.2022 को पेमाईश करवाने मौके मिटटी के कच्चे दुम्भे बनाए गये थे तो अप्रार्थीगण ने विवाद किया। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से अतिकमण करने की नीयत रखते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को काफी समझाइस भी लेकिन नाजायज कब्जा करने हेतु आमदा है। वक्त पेमाइश के बाद अप्रार्थीगण ने विवाद पैदा किया तथा मौके पर शांति भंग करने की चेष्टा की है। इसीलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 439 व 440 की पत्थरगढी करवाना [illegible] ग्राम गगाडी के खसरा नम्बर 439 व 440 की भूमि की राजस्व टीम से पेमाइश [illegible] सीमा पर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे एव एस.एच.ओ मथानिया [illegible] इमदाद दिये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा [illegible] वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र म [illegible] खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की [illegible] कर रहे है इसलिए पेमाइश करवाकर पत्थरगढी कार्यवाही करवाई [illegible]

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 439 [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 02.5657 हैक्टेयर मौजा ग्राम [illegible]

जिला जोधपुर में खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी चाही गई है प्रार्थीगण को उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 439 रकबा 00.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 02.5657 हैक्टेयर मौजा ग्राम गगाडी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर टीम गठित की जाकर पेमाइश करवाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेष दिया जाता है पत्थरगढी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 13/7/2021 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां